

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
प्रकरण संख्या Bsw-D 01/2016 श्री मंगला बनाम श्री गोपाल (कोदरिया के बजाय)

तारीख हुकम	हुकम पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
22-05-2018	<p>वकील अपीलान्ट व जी.ए. अनुपस्थित । प्रकरण में हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकर्ड का अवलोकन कर बहस पर मनन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण मे वादी अपीलान्ट के खण्डन में रेस्पोंडेन्ट व सरकार की और से कोई खण्डन नहीं होने के बावजूद प्रकरण में अपीलान्ट वादी को सुने बिना व उसकी साक्ष्य लिए बिना तथा प्रकरण में वादी के खाते की कूल आराजीयात व कमी आराजीयात का विश्लेषण किये बिना, प्रकरण में अत्यन्त सरसरी निर्णय लोक अदालत में पारित किया है। जबकि प्रकरण में अपीलान्ट की साक्ष्य लेकर तथा आवश्यकतानुसार मौका निरीक्षण करवा कर प्रकरण में स्पीकिंग निर्णय पारित किया जाना चाहिए था। प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय तथ्यात्मक एवं विधिक रूप से दूषित होने तथा प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध होने से अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है।</p> <p>अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 10-7-2015 अपास्त की जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर देकर साक्ष्य लेकर एवं मौका जांच करवाया जाकर पुनः निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 24-7-2018 को उपस्थित हों।</p> <p>पत्रावलियां बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 22-05-2018 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">(एल.एन. मंत्री) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर</p>	

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
प्रकरण संख्या Bsw-D 01/2016 श्री मंगला बनाम श्री गोपाल (कोदरिया के बजाय)

--	--	--

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
प्रकरण संख्या Bsw-D 01/2016 श्री मंगला बनाम श्री गोपाल (कोदरिया के बजाय)

--	--	--

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
प्रकरण संख्या Bsw-D 01/2016 श्री मंगला बनाम श्री गोपाल (कोदरिया के बजाय)

--	--	--

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.मुकाम
उदयपुर व इजलास एल.एन. मंत्री आर.ए.एस.

श्री गणेश लाल नागदा पिता श्री भंवर लाल पिता श्री तेजपाल
श्री कालूलाल नादा निवासी बनाम श्री कटारिया निवासी 343 भोपालपुरा
पुला शोभागपुरा रोड़ पटवार मण्डल उदयपुर (राज0)
के पास शोभागपुरा स्कूल के सामने अन्य 10 व सरकार
तहसील गिर्वा जिला उदयपुर

अपील नं0 84/2012 बनाराजगी डिगरी अदालत सहायक कलक्टर मु0.....
..... उदयपुर मुकाम मुखर्षे.....27..... माह02..... 1993

दावा बाबत

यह अपील व तारीख 15..... माह06..... सन् 2016 रूबरू... पक्षकारान व
हाजरीश्री सत्य प्रकाश व्यास मिनजानिब अपीलान्त वश्री संजय बोहरा
..... रेस्पोंडेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुकम हुआ कि अतः अपील अपीलान्त दूषित
(Defectiv) होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक
27-2-1993 यथावत रखा जाता है।

(खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिगX.... रूपये..... Xअदा
करें, खर्चा मुकदमा मातहत का X अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....15..... माह ...06..... 2016 को
जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्त	रू0	पै0	रेसपोन्डेन्ट	रू0	रू0
1. स्टाम्प अपील					
2. स्टाम्प वकालत नामा.....					
3. इजराय हुकमनामा					
4. वकील फीस बाबत					
मीजान					

नोट :- इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये
दिलाया गया हो।

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
प्रकरण संख्या Bsw-D 01/2016 श्री मंगला बनाम श्री गोपाल (कोदरिया के बजाय)

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.मुकाम
उदयपुर व इजलास एल.एन. मंत्री आर.ए.एस.

श्री गांगा पिता देवा डांगी
निवासी खेड़ी तहसील गिर्वा
जिला उदयपुर (राज0)
अन्य -2

बनाम श्री भंवर लाल पिता श्री कालूलाल
निवासी गांव खेड़ी तहसील गिर्वा
जिला उदयपुर (राज0)
अन्य-6

अपील मूत नं0 3/2015 बनाराजगी डिगरी अदालतभू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारीउदयपुर मुकाम मुखर्ष.....08.....
माह07..... 2015

दावा बाबत

यह अपील व तारीख 25..... माह05..... सन् 2016 रूबरू... पक्षकारान व
हाजरीश्री मन्नाराम डांगी मिनजानिब अपीलान्त वश्री
..... रेस्पोंडेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुकम हुआ कि प्रकरण में
वकील अपीलान्त द्वारा पेश शुदा आवेदन दफा-152 जाब्ता दीवानी का अवलोकन
किया गया तो यह पाया गया कि इस न्यायालय द्वारा जारी डिक्री अन्तर्गत प्रकरण
संख्या 46/2004 निर्णय दिनांक 8-7-2010 में अंकित आराजी नं0 3261 रकबा 0.
800 हैक्टर लिपिकीय/टंकण त्रुटि से गलत अंकित हो गया है। इसके स्थान पर
आराजी नंबर 3231 रकबा 0.0800 हैक्टर अंकित किया जावे।

(खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिगX.... रुपये..... Xअदा
करें, खर्चा मुकदमा मातहत का X अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....14..... माह ...06..... 2016 को
जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री)

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्त	रू0	पै0	रेसपोन्डेन्ट	रू0	रू0
5. स्टाम्प अपील					
6. स्टाम्प वकालत नामा.....					
7. इजराय हुकमनामा					
8. वकील फीस बाबत					
मीजान					

नोट :- इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये
दिलाया गया हो।